



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/16

निर्णय दिनांक: 13.03. 2018

1. बलविन्द्रसिंह पुत्र श्री खजानसिंह जाति धानक निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।

—

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 27-03-2000
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 27-03-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 10 डी.के.डी. के मुरब्बा 103/40 की भूमि विशेष

आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांत द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांत बावजूद सूचना अनुपस्थित। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं यदि आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांत को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांत को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफातौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांत अपीलांत का कोई दोष नहीं है।

अपीलांत एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांत आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांत ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-03-2000 के विरुद्ध अपील 22-07-2016 को पेश की है। जो करीब 15 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। अतः अपीलांत अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-03-2000 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 22-07-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 10 डी.के.डी. के मुरब्बा नम्बर 103/40 की कुल 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र की जाँच के उपरान्त दिनांक 27-03-2000 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित किया गया तथा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 27-03-2000 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर